

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०- 2/५०-1-101/17- 145

पटना, दिनांक- 19/7/17

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यरत निम्नांकित कनीय अभियंता (असैनिक) को कार्यहित में वर्तमान पदस्थापित स्थान (स्तम्भ-3) से स्थानान्तरित करते हुए नव पदस्थापित स्थान (स्तम्भ-4) पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	कनीय अभियंता (असैनिक) का नाम	वर्तमान पदस्थापन प्रमंडल/प्रशाखा	स्थानान्तरण के पश्चात् नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अमिरुद्दीन अंसारी	प्रमंडल-बिहारशरीफ प्रशाखा- हरनौत	प्रमंडल-बेगुसराय प्रशाखा-बेगुसराय	
2	श्री शशि कुमार शशि	प्रमंडल- भभुआ प्रशाखा- दुर्गावती	प्रमंडल- अरवल प्रशाखा- अरवल-1	
3	श्री उदयचन्द्र राम	प्रमंडल- हाजीपुर प्रशाखा- पातेपुर	प्रमंडल- बेतिया प्रशाखा- बेतिया-1	
4	मो० नुरैन	प्रमंडल- सिवान प्रशाखा- बंसतपुर	प्रमंडल- छपरा प्रशाखा- छपरा-1	
5	श्री मणिभूषण चौधरी	प्रमंडल- सहरसा प्रशाखा- सहरसा-2	प्रमंडल- मधेपुरा प्रशाखा- मधेपुरा-1	
6	श्री विमल कुमार चौधरी	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-5	मुख्यालय, पटना	
7	श्री कुमार शशिशेखर	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल-7	प्रमंडल- भभुआ प्रशाखा- दुर्गावती	
8	श्री अब्दुस्समद नैयर	मुख्यालय, पटना	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-5	


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. पूर्व निर्गत सभी स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं को माह, अगस्त 2017 को वेतन नव पदस्थापित स्थान से भुगतये होगा।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र० का०)

ज्ञापांक-2/40-1-101/17-251

दिनांक- 19/7/17

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दयाशंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र० को०)


ज्ञापांक-2/40-1-101/17-251

दिनांक- 19/7/17.

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०को०) के कोषांग/सभी मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं का अपने स्तर से प्रभार आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करायेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

3. सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश द्वारा स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं को अपने नये पदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से विरमित करना एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


(दयाशंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र० को०)